(172)

(416 / 18-9-15)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0
R. 5063-पी/15

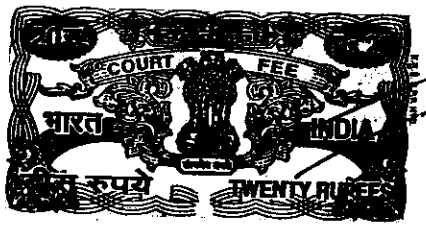

Rs. 20/-

बंश बहादुर दुबे पिता श्री गंगा प्रसाद दुबे उम्र 57 साल, निवासी टिकुरी 37, तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0——— निगरानीकता

बनाम

1. श्यामकली बेवा पत्नी स्व0श्री हीरालाल दुबे उम्र 60 वर्ष
2. उपेन्द्र कुमार दुबे पिता स्व0हीरालाल दुबे
3. संतोष कुमार दुबे पिता स्व0श्री हीरालाल दुबे
4- अमृत लाल दुबे पिता श्यामलाल दुबे

~~चारो~~ निवासी टिकुरी 37, थाना व तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0 —— गैर निगरानीकतगिण

रामनरेश शर्मा 18.9.15 के रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला रीवा के प्र0क्र06ए5/13-14 मे पारित नक्शा शसोधन ग्राम टिकुरी की आराजी खसरा क्रमांक 365/1372 रकवा3.01ए. आदेश दिनांक 9.6.14 के बिरूद्ध निगरानी/पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

स्थित ग्राम टिकुरी की आराजी नं. 365/1372 रकवा3.01ए. ग्राम टिकुरी की उक्त वर्णित आराजी मे नक्शा शसोधन की कार्यवाहियो मे न तो मुझे पक्षकार बनाया गया और न ही राजस्व अधिकारियो द्वारा दावा आपत्ति का समय दिया गया । और नक्शाशसोधन का आदेशविधि बिरूद्ध कर दिया गयाजिससेपीड़ित होकर निम्न आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जारहीहै।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5063–दो/15 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राम नरेश शर्मा द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्र0 क0 6/अ–5/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 9.6.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	